/

एम. पी. हाउसिंग बोर्ड और ए. एन. आर. बनाम

सतीश कुमार बत्रा और ओ. आर. एस. (2022 की सिविल अपील संख्या 1116) 10 फरवरी, 2022

/

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-प्रत्यर्थी Nos.1 ने पूर्ववर्ती शीर्षक से प्रश्न गत भूमि खरीदी-प्रश्न गत भूमि के संबंध में,एस. 4 अधिसूचना जारी की गई थी-पूर्ववर्ती-इन-टाइटल ने यू/एस के तहत अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की थीं।5 ए जो लंबित था-उन्होंने एस को भी चुनौती दी।4 और एस।6 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके अधिसूचना-एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज कर दी-एल. पी. ए. उच्च न्यायालय में लंबित है-इसके बाद, प्रतिवादी संख्या।1 3 ने तत्काल रिट याचिका दायर की-एकल न्यायाधीश ने सीमा के आधार पर रिट याचिका खारिज कर दी-खंड पीठ ने आक्षेपित आदेश द्वारा अपील की अनुज्ञात और उस प्रतिवादी एन. ओ. एस. को अभिनिर्धारित किया। 1 से 3 उसी राहत के हकदार थे जो उनके पूर्ववर्ती-इन-टाइटल को दी गई थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःउच्च न्यायालय ने अधिग्रहण और अधिसूचनाओं के संबंध में इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और/या विचार नहीं किया।4 और 6, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पूर्ववर्ती द्वारा दायर रिट अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी-इस पर ध्यान दिए बिना, उच्च न्यायालय ने अपील को अनुज्ञात कर लिया और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया-एक बार अधिग्रहण और अधिसूचनाएँ यू/एस।4 और 6 उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अन्य कार्यवाहियों के विषय थे, ताकि आगे किसी भी परस्पर विरोधी आदेश से बचा जा सके, उच्च न्यायालय को अपील पर अलग से निर्णय लेने के बजाय यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि उसी अधिग्रहण के संबंध में सभी अपीलों, जहां अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी, की सुनवाई एक साथ की जाए-यह तत्काल मामले में नहीं किया गया था-इसलिए, प्रतिवादी संख्या की रिट अपील पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ को मामला भेजा गया।1 3 तक और उनके पूर्ववर्ती द्वारा दायर रिट अपील भी।

/

/

/

/

/

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय की खंड पीठ को प्रेषित करते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित किया **:1.** उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण और ए के संबंध में बिल्कुल भी नोट नहीं किया है और/या इस पर विचार नहीं किया है।

/

545

546 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

क्रमशः धारा **4** और **6** दिनांक **12.07.1994** और **26.05.1995** के अंतर्गत अधिसूचनाएं, **2009** की रिट अपील संख्या **447** प्रत्यर्थी संख्या **1** से **3** के पूर्ववर्ती द्वारा दायर की गई है, यानी गजानंद माली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।इस पर ध्यान दिए बिना, उच्च न्यायालय ने अपील को अनुज्ञात कर लिया है और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है।**[**पैरा **3] [548-**ई**-**एफ**]**

/

2. एक बार अधिग्रहण और धारा **4** और **6** के अंतर्गत अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अन्य कार्यवाही का विषय थीं, ताकि आगे किसी भी परस्पर विरोधी आदेश से बचा जा सके और यहां तक कि स्वामित्व के आधार पर भी उच्च न्यायालय को वर्तमान अपील पर अलग से निर्णय लेने के बजाय यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि उसी अधिग्रहण के संबंध में सभी अपीलों, जहां अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी, की सुनवाई एक साथ की जाए। तत्काल मामले में ऐसा नहीं किया गया है।**[**पैरा **4] [548-**जी**-**एच**]**

/

3. इसलिए केवल उपरोक्त संक्षिप्त आधार पर, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाना है और इस मामले को उच्च न्यायालय की खंड पीठ को भेजा जाना है ताकि वर्तमान अपील **2009** की रिट अपील संख्या **392** के साथ**-**साथ गजानंद माली और अन्य द्वारा **2009** की रिट अपील संख्या **447** पर निर्णय लिया जा सके।**[**पैरा **5] [549-**ए**-**बी**]**

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील सं. 1116

2022.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 18.09.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से, 2009 की रिट अपील No.392 में इंदौर की पीठ।आर. सी. मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, इलिन सारस्वत, अनन्या मिश्रा, महेंद्र कुमार, रजनीश कुमार झा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

वी. वी. वी. एम. बी. पट्टाभिराम, डी. ए. जी., कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, पुनीत जैन, श्रीमती क्रिस्टी जैन, हर्ष जैन, उमंग मेहता, सुश्री श्रुति सिंह, सुश्री प्रतिभा जैन, अर्जुन गर्ग, आकाश नंदोलिया, सुश्री सागुन श्रीवास्तव, मेसर्स जी. एस. एल. चैंबर्स, दिव्यांशु सहाय, गौरव गोयल, पशुपति नाथ राजदान, सुश्री मैत्रेयी जगत जोशी, प्रखर श्रीवास्तव, सुश्री स्नेह बैरवा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

/

547

एम. पी. हाउसिंग बोर्ड बनाम सतीश कुमार बत्रा ए.

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2009 की रिट अपील संख्या 392 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, इंदौर की पीठ, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा की गई उक्त अपील को अनुज्ञात कर लिया है और 2008 की रिट याचिका संख्या 2624 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 1 से पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उसी राहत के हकदार होंगे, जिसे समान रूप से रखे गए व्यक्तियों-गजानंद माली, जो 1995 की रिट याचिका संख्या 651 में याचिकाकर्ता थे, को दिया गया है।

/

/

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:2.1 उस प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने पूर्ववर्ती शीर्षक गजानंद माली और नंदकिशोर से प्रश्न भूमि खरीदी।प्रश्न भूमि के संबंध

में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "1894 का अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 4 के अंतर्गत एक अधिसूचना 12.07.1994 पर जारी की गई थी।इसके बाद 1894 के अधिनियम की धारा 5-ए के अंतर्गत आपत्तियां आमंत्रित की गईं।गजानंद माली और नंदकिशोर और अन्य भूमि मालिकों ने अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कीं।भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने आपत्तियों को खारिज कर दिया।भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा उनकी आपत्ति को खारिज करने के आदेश से व्यथित मूल भूमि मालिक गजानंद माली ने 1995 की रिट याचिका संख्या 651 को प्राथमिकता दी।उक्त रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 16.04.2001 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।2.2 गजानंद माली द्वारा 2001 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 228 को डिवीजन बेंच द्वारा एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ गजानंद माली की आपत्ति को खारिज करते हुए भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश अपास्त करते हुए ते हुए अनुज्ञात गई और आपत्तियों पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को भूमि अधिग्रहण अधिकारी को वापस भेज दिया गया।

/

/

/

/

2.3 ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद उक्त गजानंद माली और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अन्य पूर्ववर्ती ने 1997 की एक अन्य रिट याचिका No.830 को प्राथमिकता दी, जिसमें 1894 के अधिनियम की धारा 4 दिनांक 12.07.1994 और धारा 6 दिनांक 26.05.1995 के अंतर्गत अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।उक्त रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19.07.2004 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। लेटर्स पेटेंट अपील

/

1997 की रिट याचिका संख्या 830 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ गजानंद माली द्वारा 2004 की आई. डी. 1 को डिवीजन बेंच द्वारा विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया।यह मामला इस न्यायालय में ले जाया गया था।उक्त गजानंद माली ने इस न्यायालय के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता

के साथ अपील वापस ले ली क्योंकि इस बीच विधि में बदलाव को देखते हुए, लेटर्स पेटेंट अपील को बनाए रखने योग्य माना गया था।

/

इसके बाद उक्त गजानंद माली ने 1997 की रिट याचिका No.830 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 19.07.2004 द्वारा पारित आदेश के खिलाफ 2009 की रिट अपील No.447 को प्राथमिकता दी थी, जिसे लंबित बताया गया है।

/

2.4 कि इसके बाद वर्ष 2008 में, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष 2008 की वर्तमान रिट याचिका No.2624 को प्राथमिकता दी।दिनांक 09.09.2009 के आदेश के माध्यम से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुख्य रूप से देरी और विलंब के आधार पर उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया।इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने डिवीजन बेंच के समक्ष वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी और आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने उक्त अपील को अनुज्ञात कर लिया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 भी उसी राहत के हकदार हैं, जो 1995 की रिट याचिका No.651 में रिट याचिकाकर्ता गजानंद माली के पक्ष में दी गई थी।

/

/

3. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है और/या विचार नहीं किया है कि क्रमशः धारा 4 और 6 दिनांकित 12.07.1994 और 26.05.1995 के अंतर्गत अधिसूचनाओं के संबंध में, 2009 की रिट अपील No.447 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्ववर्ती द्वारा दायर की गई है, यानी गजानंद माली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।इस पर ध्यान दिए बिना, उच्च न्यायालय ने अपील को अनुज्ञात कर लिया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है।

/

4. हमारी राय है कि एक बार अधिग्रहण और धारा 4 और 6 के अंतर्गत अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अन्य कार्यवाही का विषय थीं, ताकि आगे किसी भी परस्पर विरोधी आदेश से बचा जा सके और अन्यथा स्वामित्व के आधार पर भी उच्च न्यायालय को वर्तमान अपील पर अलग से निर्णय लेने के बजाय यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि उसी अधिग्रहण के संबंध में सभी अपीलों, जहां अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी, की सुनवाई एक साथ की जाए।तत्काल मामले में ऐसा नहीं किया गया है।

/

/

549

एम. पी. हाउसिंग बोर्ड बनाम सतीश कुमार बत्रा [एम. आर. शाह, जे.]

/

5. इसलिए केवल उपरोक्त संक्षिप्त आधार पर, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाना है और इस मामले को उच्च न्यायालय की खंड पीठ को भेजा जाना है ताकि वर्तमान अपील 2009 की रिट अपील No.392 के साथ-साथ गजानंद माली और अन्य द्वारा 2009 की रिट अपील No.447 पर निर्णय लिया जा सके।

/

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए और केवल उपरोक्त संक्षिप्त आधार पर और मामले के गुण-दोष में आगे प्रवेश किए बिना और दोनों पक्षों के पक्ष में गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त किए बिना, 2009 की रिट अपील में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।इस मामले को 2009 की रिट अपील संख्या 392 के साथ 2009 की रिट अपील No.447 पर विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ को भेज दिया गया है, जो किसी भी तरह से आक्षेपित निर्णय और आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना है, जिसे अन्यथा खारिज कर दिया गया है और वर्तमान आदेश द्वारा केवल इस मामले को 2009 की रिट अपील No.447 के साथ सुनवाई के लिए भेजने के उद्देश्य से अलग कर दिया गया है।डिवीजन बेंच अंततः 2009 की रिट अपील No.447 और 2009 की रिट अपील No.392 होने वाली अपीलों पर जल्द से जल्द और अधिमानतः वर्तमान आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगी और उनका निपटारा करेगी।

/

/

/

सभी संबंधितों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऊपर निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त अपीलों के शीघ्र निपटारे के लिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ का सहयोग करें।

वर्तमान अपील को तदनुसार उपरोक्त सीमा तक अनुज्ञात जाती है।यद्यपि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

/

/

अपील अनुज्ञात ।

/